

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
गाजीपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक,

दी सन साइन सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल जखनियां गाजीपुर।

पत्रांक / 2160-66 / जू0हा0स्कूल की मान्यता / 2005-06

दिनांक 13-8-98

विषय :- अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में  
महोदय,

शासनादेश संख्या 646 / 15-6-97-18एस(7) / 89 दिनांक 13-8-98 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अस्थायी मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 1 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जायेगी। अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि विद्यालय द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त करने के शर्तें पूरी करने पर उसकी मान्यता स्थायी मान्यता के रूप में परिवर्तित नहीं कर दिया जाये। शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय में निम्नांकित शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का अनुमन्य किये जाते हैं :-

प्रधानाध्यापक	-	एक पद
सहायक अध्यापक	-	बारह पद (एक पद विज्ञान तथा एक भाषा)
लिपिक	-	एक पद
चतुर्थ श्रेणी	-	एक पद

शासकीय/विभागीय आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करने पर तथा मान्यता प्राप्त न गयी कोई सूचना असत्य पाये जाने पर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता वापस ले ली जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
गाजीपुर।

पृ0सं0 / / 2005-06 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, गाजीपुर।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
5. जिला समाज कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण अधिकारी, गाजीपुर।
6. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर।
7. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
8. कार्यालय प्रति।

Principal  
The Sun Shine Senior  
Secondary School  
Jhakhnian-Ghazipur

MANAGER  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
THE SUN SHINE SENIOR  
SECONDARY SCHOOL  
JAKHANIAN-GHAZIPUR